लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 291
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपास की कीमत

291. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय ने कपड़ा इकाइयों का वैश्विक कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित न होना सुनिश्चित करने के लिए कपास की कीमतों को स्थिर रखने हेतु आवश्यक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सीसीआई ने व्यापारियों के बजाय सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को कपास बेचने का निर्णय लिया है और व्यापारियों द्वारा घरेलू कपास की माँग पूरी होने के बाद ही कपास निर्यात किए जाने संबंधी निगरानी रखने का निर्णय लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भंडारण गोदामों के निर्माण सहित कपास की कीमतों को स्थिर रखने के लिए विशेष योजनाएँ शुरू की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में दो और एकीकृत वस्त्र पार्क विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय ने कपास की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और वस्त्र इकाईयों को वैश्विक मूल्यों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचाने के लिए कई उपाय किए हैं। कपास की कीमतें स्वाभाविक रूप से मांग-आपूर्ति सप्लाई के डायनामिक्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रूझानों से प्रभावित होती हैं; इसलिए, मंत्रालय कपास मूल्य श्रृंखला में कीमत से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए वस्त्र सलाहकार समूह के माध्यम से सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार संपर्क में रहती है। इसके अलावा, कीमतों के दबाव को कम करने के लिए, सरकार ने कपास के आयात को मौजूदा 11% आयात शुल्क से छूट दी है, और यह राहत दिनांक 31.12.2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा, जब बाजार में कीमतें गिरती हैं तब सरकार किसानों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है, और भारतीय कपास निगम (सीसीआई), जब भी एमएसपी पर खरीद करती है, तो अपने स्टॉक को प्रतिदिन एक स्वतंत्र ऑनलाइन ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचती है, जिससे पारदर्शी मूल्य का पता चलता है और वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी दरों पर कपास मिल पाता है।

(ग): भारतीय कपास निगम (सीसीआई) अपने पूरे स्टॉक की बिक्री दैनिक ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से करके एंड यूजर्स, मुख्यत: वस्त्र मिलों, को सीधी पहुँच प्रदान करता है। वस्त्र मिलों को प्राथमिकता देने के लिए पंजीकरण शुल्क तथा अर्नेस्ट मनी को व्यापारियों की तुलना में कम रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सीसीआई प्रतिदिन दो ई-नीलामियाँ आयोजित करता है, जिनमें पहली नीलामी विशेष रूप से वस्त्र मिलों के लिए आरक्षित होती है, ताकि व्यापारियों को बेचने से पहले उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(घ) और (ङ): केंद्रीय बजट 2025–26 में कपास उत्पादकता के लिए पाँच वर्ष के मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) नोडल विभाग और वस्त्र मंत्रालय सहायक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। मिशन कपास उत्पादकता बढ़ाने, सस्टेनेबिलिटी में सुधार करने और अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर फोकस करता है।

इसके अलावा, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत, विश्वस्तरीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए, सरकार ने देश भर में सात पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क, जिसमें तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पार्क भी शामिल है, की स्थापना को मंज़ूरी दी है। पीएम मित्र योजना के तहत कोई और पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

***